रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2010/आश्विन 19, 1932
No. 2116] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2010/ASVINA 19, 1932

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)
(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2479(अ).—जबकि, फाइल संख्या 673/ 11/ 2010-कस्टम VIII, दिनांक 30-8-2010 को जारी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा कथित उप-धारा के तहत निदेश दिया गया था कि श्री मोहिबुर रहमान, गांव बाबुपुर (बीरनगर) पो.आ. पॉलगाची, पो. स्टेशन बैस्नबनगर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल को प्रेजिडेंसी करेक्शनल होम, कोलकाता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उन्हें भविष्य में तस्करी का माल लाने ले जाने, छिपाने व रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश की तामील न की जा सके।

3. अत:,अब, कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/11/2010-कस्टम VIII]

राशिदा हुसैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)
(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2010

S.O. 2479(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order F. No. 673/11/2010-Cus.VIII, dated 30-8-2010 under the said sub-section directing that Shri Mohibur Rahaman, Village : Babupur (Birnagar), P.O. Palgachi, P.S. : Baisnabnagar, Dist. : Malada, West Bengal, be detained and kept in custody in the Presidency Correctional Home, Kolkata with a view to preventing him from engaging in transporting, concealing and keeping the smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of West Bengal, Kolkata within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/11/2010-Cus.VIII]

RASHEDA HUSSAIN, Jt. Secy.

3970 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.